भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 206
जिसका उत्तर बृहस्पतिवार, 19 जुलाई, 2018 को दिया जाना है

एफएएमई इंडिया योजना के अंतर्गत डीज़ल/ हाईब्रिड कारों हेतु छुट

206. श्री परिमल नथवानीः

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार की देश में इलेक्ट्रिक/हाईब्रिड वाहनों को बढ़ावा देने की क्या योजना है, क्योंकि हाईब्रिड कारों से वातावरण स्वच्छ रहता है और जीवाश्म ईधन महंगा होता जा रहा है:
(ख) एफएएमई (फेम) भारत योजना के अंतर्गत माइल्ड डीज़ल हाईब्रिड कारों को दी गई छूट तथा उत्पाद शुल्क में कटौती का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या इलेक्ट्रिक और स्ट्रांग हाईब्रिड वाहनों को नजरअंदाज किया जाता है; और
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (घ): देश में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन उपलब्ध कराने की दृष्टि से भारत सरकार ने वर्ष 2011 में नेशनल मिशन ऑन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अनुमोदित किया और तत्पश्चात वर्ष 2013 में नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन 2020 का शुभारंभ किया। इस मिशन प्लान को मुख्यतः देश में ईंधन सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रदूषण पर विचार करते हुए डिजाइन किया गया है।

इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के विनिर्माण को बढ़ावा देने और इसकी सतत वृद्धि सुनिश्चित करने तथा मिशन को आगे बढ़ाने के लिए भारी उद्योग विभाग ने दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से दो वर्षों की अवधि के लिए एक योजना नामतः फेम-इंडिया [भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का विनिर्माण और तीव्र अंगीकरण] तैयार की। इस योजना में बल दिए जाने वाले चार घटक हैं, नामतः मांग का सृजन, प्रायोगिक परियोजना, प्रौद्योगिकी विकास/अनुसंधान एवं विकास और चार्जिंग अवसंरचना। तथापि, फेम स्कीम के चरण-1 को दिनांक 30 सितंबर, 2018 तक बढ़ा दिया गया है।

बल दिए जाने वाले मांग के सृजन घटक के तहत इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों के क्रेता को एक्सईवी की खरीद के समय डीलर द्वारा खरीद मूल्य में अपफ्रंट छूट दी जाती है। एक्सईवी की खरीद के लिए उपलब्ध मांग प्रोत्साहनों के ब्यौरे और स्कीम की राजपत्र अधिसूचना के अनुबंध-13 (यथासंशोधित) में उपलब्ध हैं, जो भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट (www.dhi.nic.in) पर उपलब्ध हैं।

मूल योजना के अनुसार, इस फेम इंडिया स्कीम में माइल्ड हाइब्रिड, स्ट्रांग हाइब्रिड, प्लग-इन हाइब्रिड और प्योर इलेक्ट्रिक प्रौद्योगिकियां (संयुक्त रूप से एक्सईवी) शामिल की गई। तथापि, दिनांक 30.03.2017 की राजपत्र अधिसूचना एस.ओ.1055(ई) के द्वारा दिनांक 01.04.2017 से "माइल्ड हाइब्रिड" प्रौद्योगिकी को इस स्कीम से अलग कर दिया गया है।

नई जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों को पारंपरिक वाहनों के लिए 22 प्रतिशत तक उपकर के साथ 28 प्रतिशत जीएसटी दर की तुलना में 12 प्रतिशत जीएसटी दर (कोई उपकर नहीं) के निचले वर्ग पर रखा गया है। स्ट्रांग हाइब्रिड के लिए क्षतिपूर्ति उपकर को मिलाकर अधिकतम 43 प्रतिशत जीएसटी है।

****